

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). 30नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा लंकापुरवा पुलिया के पास से अभियुक्त छितानीराम पुत्र मुन्ना निवासी बाबाताल पुरवा ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 62/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बहिलपुरवा

2. आरक्षी अरविन्द्र यादव

(ii). आरक्षी अंकित तिवारी तथा आरक्षी धर्मेन्द्र कुशवाहा थाना मऊ द्वारा शिवपुर तिराहे के पास से अभियुक्त श्याम पुत्र प्यारे निवासी हरजन बस्ती कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 269/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. आरक्षी अंकित तिवारी थाना मऊ

2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुशवाहा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती पिंगी देवी पत्नी श्री नन्दू सोनकर निवासी बाल्मीकि नगर मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति नन्दू सोनकर उसके साथ मारपीट करते है, अतिरिक्त दहेज एवं मानसिक शोषण करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। 30नि0 श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 25.12.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वलंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 25.12.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा में भ्रमण, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में बाजार रोड, बस स्टैण्ड में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर के तुलसी मन्दिर, वाजपेयी चौराहा, लूपलाईन

चौराहा में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना सुशासन दिवस के अवसर पर रामायण मेला परिसर सीतापुर में कार्यक्रम में मौजूद रहकर , एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ ग्राम कोलमजरा स्टेशन बरगढ़ बरगढ़ मोड़, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा ट्रैफिक चौराहा, मिशन रोड, बेथेल चर्च, जिला अस्पताल, गणेश बाग एसडीएम कॉलोनी क्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।